

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 94/2023

अनवान : -

1. दलिप कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. सुरेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. रूकमणी पत्नी दलिप कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. मोहनी पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
5. रामकौरी पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
6. विद्या देवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
7. समेशता पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादीगण
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 15.05.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 56/50 की कुल 0.0440 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा व खाता स0 107/105 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 प्रत्येक के 1/20 हिस्सा भूमि व खाता स0 111/50 की कुल 2.9590 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा, रोही मौजा 30 एनटीआर के खाता स0 94/91 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 4 व खाता स0 115/114 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया स0 3 तथा रोही मौजा 28 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 108/108 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा व खाता स0 114/114 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 प्रत्येक के 1/30 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 181/107 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि वादी के मृतक पिता रामजीलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।



वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति-रिवाज से शासित है। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है। प्रतिवादीया सं० 5 जो की वादी की माता है तथा प्रतिवादीया सं० 6 व 7 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना समस्त हक व हिस्सा अपने पुत्र/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 30 एनटीआर के खाता सं० 107/105 की 5.0600 हैक्ट भूमि प्रतिवादी सं० 1, 2, 5 ता 7 नाम दर्ज भूमि व चक 28 एनटीआर के खाता सं० 181/107 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि जो मृतक रामजीलाल पुत्र बीरबल के नाम दर्ज है उपरोक्त दोनों खातों की भूमि में वादी काबिज है व रोही मौजा 30 एनटीआर के खाता सं० 111/50 की 2.959 हैक्ट भूमि के प०न० 317/414 (3) के किला न० 6/3 की 0.068 हैक्ट भूमि, 15 की 0.253 हैक्ट, 318/414 की (4) के किला न० 10, 11, 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट कुल 1.586 हैक्ट भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी सं० 3 बहिब काबिज है व शेष 1.373 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी सं० 2 ता 4 बहिब काबिज है व 28 एनटीआर के खाता सं० 114/114 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी सं० 2 काबिज है तथा 30 एनटीआर के खाता सं० 94/91 की कुल 0.759 हैक्ट भूमि व खाता सं० 115/114 की कुल 0.759 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी सं० 1 काबिज है तथा 28 एनटीआर के खाता सं० 108/108 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी सं० 1 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 30 एनटीआर सम्वत 2073-73 खाता सं० 107/105 प्रदर्श-1, रोही मौजा 28 एनटीआर सम्वत 2073-76 खाता सं० 114 प्रदर्श-2, रोही मौजा 13 एनटीआर सम्वत 2070-73 खाता सं० 111 प्रदर्श-3, रोही मौजा 28 एनटीआर सम्वत 2073-76 खाता सं० 108 प्रदर्श-4, रोही मौजा 30 एनटीआर सम्वत 2070-73 खाता सं० 115 प्रदर्श-5, रोही मौजा 28 एनटीआर सम्वत 2073-76 खाता संख्या 181 प्रदर्श-6, रोही मौजा 30 एनटीआर सम्वत 2070-73 खाता सं० 94/91 प्रदर्श-7, मृत्यु प्रमाण पत्र रामजीलाल प्रदर्श-8, वारिसनामा प्रदर्श-9, विरासतन नामान्तरकरण संख्या 852 रोही मौजा 30

एनटीआर प्रदर्श-10, विरासतन नामान्तरण संख्या 792 रोही मौजा 28 एनटीआर प्रदर्श-11 आदि प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा 30 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 56/50 की कुल 0.0440 हैक्ट भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 प्रत्येक के 1/24 हिस्सा व खाता स0 107/105 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 प्रत्येक के 1/20 हिस्सा भूमि व खाता स0 111/50 की कुल 2.9590 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा, रोही मौजा 30 एनटीआर के खाता स0 94/91 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 4 व खाता स0 115/114 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया स0 3 तथा रोही मौजा 28 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 108/108 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 प्रत्येक के 1/6 हिस्सा व खाता स0 114/114 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से वादी व प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 प्रत्येक के 1/30 हिस्सा भूमि तथा खाता स0 181/107 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि वादी के मृतक पिता रामजीलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 7 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 30 एनटीआर के खाता स0 107/105 की 5.0600 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर व चक 28 एनटीआर के खाता स0 181/107 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि जो मृतक रामजीलाल पुत्र बीरबल का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त दोनों खातों की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

तथा रोही मौजा 30 एनटीआर के खाता स0 111/50 की 2.959 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1, 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 317/414 (3) के किला न0 6/3 की 0.068 हैक्ट भूमि, 15 की 0.253 हैक्ट, 318/414 की (4) के किला न0 10, 11, 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट कुल 1.586 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व शेष 1.373 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व 28 एनटीआर के खाता स0 114/114 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 5 ता 7 के नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है है तथा 30 एनटीआर के खाता स0 94/91 की कुल 0.759 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 4 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता स0 115/114 की कुल 0.759 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 3 का नाम कलमजन किया जाकर दोनों खातो की भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 28 एनटीआर के खाता स0 108/108 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/11/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023
कैम्प कोर्ट-रामसरा

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 94/2023

अनवान : -

1. दलिप कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. सुरेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
2. मोहनलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
3. रूकमणी पत्नी दलिप कुमार जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
4. मोहनी पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
5. रामकौरी पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
6. विद्या देवी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
7. समेशता पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 94 सन 2023 निर्णय दिनांक 15.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 30 एनटीआर के खाता स0 107/105 की 5.0600 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1, 2, 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर व चक 28 एनटीआर के खाता स0 181/107 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि जो मृतक रामजीलाल पुत्र बीरबल का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त दोनों खातों की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 30 एनटीआर के खाता स0 111/50 की 2.959 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1, 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 317/414 (3) के किला न0 6/3 की 0.068 हैक्ट भूमि, 15 की 0.253 हैक्ट, 318/414 की (4) के किला न0 10, 11, 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.253 हैक्ट कुल 1.586 हैक्ट भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व शेष 1.373 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 व 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व 28 एनटीआर के खाता स0 114/114 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 5 ता 7 के नाम कलमजन किया जाकर उक्त भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है है तथा 30 एनटीआर के खाता स0 94/91 की कुल 0.759 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 4 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता स0 115/114 की कुल 0.759 हैक्ट

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

भूमि में प्रतिवादी स० 3 का नाम कलमजन किया जाकर दोनों खातो की भूमि का प्रतिवादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 28 एनटीआर के खाता स० 108/108 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स० 2 व 5 ता 7 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स० 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 15/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट- रामसरा